

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सिवनी
विभाग में जिले कि बेब साईड पर विभागीय योजनाओ की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहाँ करे
1	अनु.जाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5	अनु.जाति वर्ग की कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं को	प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनु.जाति वर्ग की छात्राओं हेतु रू. 150 प्रति छात्रा	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक
2	अनु.जाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	अनु.जाति वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को	क्रमशः माध्यमिक एवं हाईस्कूल में छात्रों को रू. 200/300 छात्राओं को रू. 300/400	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य
3	अनु.जाति पो.मै. छात्रवृत्ति	अनु.जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 11 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक	कक्षा/पाठ्यक्रम अनुसार अलग-अलग निर्धारित दर पर	संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य
4	अनु.जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5	अनु.जनजाति वर्ग की कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं को	प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनु.जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु रू. 150 प्रति छात्रा	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक
5	अनु.जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	अनु.जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को	क्रमशः माध्यमिक एवं हाईस्कूल में छात्रों को रू. 200/300 छात्राओं को रू. 300/400	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य

6	अनु.जनजाति पो.मै. छात्रवृत्ति	अनु.जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 11 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक	कक्षा/पाठ्यक्रम अनुसार अलग-अलग निर्धारित दर पर	संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य
7	पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10	पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को	क्रमशः माध्यमिक एवं हाईस्कूल में छात्रों को रु. 200/300 छात्राओं को रु. 300/400	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य
8	पिछड़ा वर्ग पो.मै. छात्रवृत्ति	पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कक्षा 11 से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक	कक्षा/पाठ्यक्रम अनुसार अलग-अलग निर्धारित दर पर	संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य
9	अनु.जाति छात्रावास शिष्यवृत्ति	अनु.जाति छात्रावासों में प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु	निःशुल्क आवास भोजन एवं अन्य व्यवस्था	संबंधित छात्रावास अधीक्षक
10	अनु.जनजाति छात्रावास शिष्यवृत्ति	अनु.जनजाति छात्रावासों में प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु	निःशुल्क आवास भोजन एवं अन्य व्यवस्था	संबंधित छात्रावास अधीक्षक
11	अनु.जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति	अनु.जनजाति आश्रमों में प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु	निःशुल्क आवास भोजन एवं अन्य व्यवस्था	संबंधित आश्रम अधीक्षक

12	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	अनु.जाति, अनु.जनजाति की कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में प्रवेशित छात्राओं हेतु	कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं में क्रमशः रू. 500, 1000 एवं 3000	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य
13	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना	अस्वच्छ धंधों में लगे पालकों के बालक बालिकाओं को	रू. 1850	संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य
14	अनुसूचित जाति, जनजाति पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना	अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए	नियमानुसार	पुलिस अधीक्षक/उपपुलिस अधीक्षक, आ.जा.क. थाना
15	अंतर्जातीय विवाह योजना	सवर्ण वर्ग के युवक अथवा युवती द्वारा अनु.जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करने पर	रू. 50,000 एवं प्रशंसी पत्र	कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)
16	विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता	अनु.जाति के विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता	रू. 2400	कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

17	सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि योजना	अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिन्होंने से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो	<p>अनु.जाति एवं जनजाति वर्ग – संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 40000 मुख्य परीक्षा में रू. 60000 चयन होने पर रू. 50000 एवं म.प्र.लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 20000, मुख्य परीक्षा में रू. 30000, चयन होने पर रू. 25000,</p> <p>पिछड़ा वर्ग के – संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 30000 मुख्य परीक्षा में रू. 40000 चयन होने पर रू. 30000 एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में रू. 15000, मुख्य परीक्षा में रू. 20000, चयन होने पर रू. 15000,</p>	कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)
----	---	---	---	----------------------------------

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, सिवनी